



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037  
MARATHAHALLI COLONY P.O  
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.:889 का संशोधन सहित नवीकरण

**Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 889**

**विषय /Sub: पोलि टेट्रा फ्लूरो एथिलीन/ पोलिमाइड टेप इन्सुलेटेड एंड सिन्टेर्ड इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबिल्स**  
**Poly Tetra Fluro Ethylene / Polyimide Tape Insulated and Sintered Electrical**  
**Wires and Cables**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स रेडियन्ट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, बी-1, इंडस्ट्रियल इस्टेट, सनतनगर, हैदराबाद – 500 018, द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं उत्पादित " पोलि टेट्रा फ्लूरो एथिलीन/ पोलिमाइड टेप इन्सुलेटेड एंड सिन्टेर्ड इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबिल्स " पार्ट सं. आर डब्ल्यू 22780 टु आर डब्ल्यू 22792-26 टु 04 ए डब्ल्यू जी और केबिल्स, पार्ट सं. आर सी 22780 टु आरसी22792-2यूजे टु 4यूजे/1टीजे टु 4 टीजे/1एसजे टु 4एसजे/1एनजे टु 4एनजे-26 टु 10 ए डब्ल्यू जी को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-889, दिनांक 23 नवंबर 2000, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 889 जारी किया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-889/3आर दिनांक 15 नवंबर 2013 द्वारा नवीकरण किया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक थी।

*This is to state that the "Poly Tetra Fluro Ethylene/ Polyimide Tape Insulated & Sintered Electrical Wires", Part Nos.: RW 22780 to RW 22792-26 to 04 AWG and Cables, Part Nos.: RC 22780 to RC 22792 – 2UJ to 4UJ / 1TJ to 4TJ/ 1SJ to 4SJ / 1NJ to 4NJ – 26 to 10 AWG designed, developed and manufactured M/s Radiant Corporation Private Limited, B-1, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad – 500 018, was issued with Type Approval No.: 889 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-889, dated: 23<sup>rd</sup> November 2000. Subsequently renewals issued vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-889-3R dated: 15<sup>th</sup> November 2013 with validity up to 31<sup>st</sup> December 2018.*



2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 मार्च 2019 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 29 फरवरी 2024 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (हैदराबाद), सेमिलैक, डीआरडीओ, द्वारा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हैदराबाद - 500 042, से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> March 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 29<sup>th</sup> February 2024 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Hyderabad), CEMILAC, DRDO, C/o M/s Hindustan Aeronautics limited, Hyderabad - 500 042, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए - 889, दिनांक 23 नवंबर 2000 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद (05) पाँच में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para (05) five of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-889, dated: 23<sup>rd</sup> November 2000 is amended as stated herewith.*

“अगर इस टाइप रिकॉर्ड के करना हो तो सेना एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।”

*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।


*All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.*

सं. / No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA - 889/4R

दिनांक / Date: 11 March 2019

फैक्सं. / Fax No.: 080 - 2523 0856



  
पी . जयपाल / P. JAYAPAL  
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /  
Chief Executive (Airworthiness)